संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्रमांक–आई.डी.एस.पी. / 2020 / 643 भोपाल, दिनॉक 12/5/2020

प्रति,

1. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।
3. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।

विषयः– प्रदेश में कोरोना वायरस के संभावित प्रकरण को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक अस्पताल / मानव संसाधन / उपकरण इत्यादि का आंकलन करने तथा डी.सी.एच.सी. के संबंध में।

संदर्भः– संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म0प्र0 का पत्र क्रमांक आईडीएसपी / 2020 / 635, दिनांक 9–5–2020.

कृपया उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। कुछ जिलों द्वारा डी.सी.एच.सी. बनाने के लिये सिविल अस्पताल, ट्रामा केन्द्र अथवा अन्य भवन जो कि उक्त कार्य के लिये उपयुक्त हैं, को डी.सी.एच.सी. बनाने के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि जिला अस्पताल के अतिरिक्त अन्य अस्पताल यदि जिले में उपलब्ध हैं और दिये गये मापदण्डों के अनुसार डी.सी.एच.सी. बनाये जा सकते हों तो वहां पर डी.सी.एच.सी. बनाने की कार्यवाही करी जाये।

2/ इसके साथ–साथ कुछ स्थानों पर जहां जिला अस्पताल में डी.सी.एच.सी. बनाने की प्रक्रिया चल रही है वहां पर यह सूचना प्राप्त हुई है कि सिविल सर्जन के द्वारा ऑक्सीजन लाईन डलवाने से संबंधित ठेकेदारों को मना किया जा रहा है। उक्त कार्य निश्चित समय–सीमा में होना है अतः यह सुनिश्चित किया कि इसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो तथा कार्य अतिशीघ्र पूर्ण करवाया जाये।

(फैज अहमद किदवई)
वि.क.अधि. सह स्वास्थ्य आयुक्त,
म.प्र.

पृ.क. / आई.डी.एस.पी. / 2020 / 644 भोपाल, दिनॉक 12/5/2020

प्रतिलिपिः– कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल
2. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र.भोपाल
3. समस्त संभाग आयुक्त, मध्यप्रदेश।
4. प्रभारी कोविड नियंत्रण कक्ष, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म0प्र0, भोपाल

12/5/20

वि.क.अधि. सह स्वास्थ्य आयुक्त,
म.प्र.

Scanned by CamScanner